

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-माध्य/साप्र/डी-1/3379/श0ना0/विविध/2018/08 दिनांक:- 04/07/2018

समस्त प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यपक
राउमावि/राबाउमावि/रामावि/राबामावि

विषय:-शहीद/भामाशाह/स्वतंत्रतासेनानी के नाम से विद्यालयों के नामकरण सम्बन्धी दिशा-निर्देश एवं कार्यवाही हेतु।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत विभाग के ध्यान में आया है कि शासन स्तर से शहीद/भामाशाह/स्वतंत्रतासेनानी के नाम से विद्यालय नामकरण की सक्षम स्वीकृति के उपरान्त भी संबंधित संस्था प्रधान द्वारा आवश्यक कार्यवाही सम्पादित नहीं की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में आपको निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही दो दिवस में किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है :-

1. शासन स्तर से सक्षम स्वीकृति उपरान्त विभाग द्वारा अग्रेषित किये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान का दायित्व है कि सर्वप्रथम विद्यालय का नाम शासन स्तर से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार शहीद के नाम से नामकरण किया जावे तथा विभागीय वेबसाईट (शालादर्पण) में भी तत्काल अपलोड किया जावे।
2. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर से संबंधित विद्यालय प्रोफाईल को तत्काल स्वीकृति अनुसार अपडेट किया जावे।
3. विद्यालय के समस्त दस्तावेजों में सक्षम स्वीकृति अनुसार नाम अंकित/प्रसारित किया जावे।
4. संबंधित बोर्ड/परीक्षा संचालन समिति से पत्र व्यवहार कर विद्यालय का नामकरण सक्षम स्वीकृति अनुसार अंकित करवाया जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही कर पूर्णतः का प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करावे। उक्त कार्यवाही समय पर सम्पादित नहीं किये जाने पर संबंधित संस्था प्रधान के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।



(नथमल डिडेल)


L.A.S.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. उपनिदेशक, माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि समय-समय पर विद्यालय निरीक्षण के दौरान उक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
02. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा (समस्त) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित संस्था प्रधान से आवश्यक कार्यवाही समय पर करवाई जावे तथा विद्यालय निरीक्षण के दौरान उक्त बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे।
03. सिस्टम ऐनालिस्ट एवं प्रोग्रामर, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को देकर निर्देशित किया जाता है कि समस्त विद्यालयों को शालादर्पण/विभागीय वेबसाईट पर अपलोड/प्रसारित किया जावे।



संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर